राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

डा० मो० सज्जाद अहमद
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, प०क०

संचिका सं० SHSB/2050/2016
पत्र सं०: 570 दि०: 09 / 05 / 2017

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देविका विश्वास v/s यूनियन ऑफ इंडिया के मध्य दायर याचिका 95 / 2012 के सुनवाई में दिये गये विशेष निदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य प्रतिपूर्ति हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार कुल प्रजनन दर (TFR) एवं अपूरित मांग को कम करने के लिए दृढ़ संकलिप्त है। जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ मृत्यू दर (MMR) एवं नवजात मृत्यू दर (IMR) को भी कम करना है।

माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा देविका विश्वास V/s UOI के मध्य दायर याचिका 95/2012 के सुनवाई मे विशेष निदेश दिया गया है, जिसे SHSB के पत्र संख्या 5240 दिनांक– 14.11.16 के माध्यम से आपको अनुपालनार्थ सूचित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

इस पत्र के माध्यम से आपका निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यानाकृष्ट कराते हुए अनुकरण करने हेतु अनुरोध किया जाता हैः–

1) त्रैमासिक / अर्धवार्षिक/ वार्षिक प्रतिवेदनों को ससमय अद्यतन करना तथा परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध कराना (Annexure 2.1 से 2.5 तथा अन्य)।
2) SHSB से उपलब्ध कराये गये सभी Printed Manuals of FP को सभी स्वास्थ्य संस्थानों, प्रत्यायित Nursing Home, Service Provider एवं विभिन्न स्तर पर सलहाकार तथा प्रबंधक को उपलब्ध कराते हुए Orient किया जाए।
3) सभी लाभार्थियों की Counselling सुनिश्चित की जाए। सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर परामर्श केन्द्र स्थापित करते हुये दक्ष स्टॉफ नर्स / ए०एन०एम० पदस्थापित किया जाय ताकि इनके द्वारा लाभार्थियों को RCH संबंधित उचित सलाह के साथ–साथ चयनित सेवाऐं हेतु मार्गदर्शित किया जा सके।
4) बंध्याकरण / नसबंदी हेतु उपयोग में आने वाले आवेदन–सह–सहमति प्रपत्र (हिन्दी भाषीत), Medical Record & Check list का उपयोग प्रत्येक लाभार्थी के लिए अनिवार्य हैं।
5) सहमति प्रपत्र पर लाभार्थी के सहमति के पूर्व, लाभार्थी को सहमति पत्र के सभी तथ्यों से अवगत कराया जाए तथा कम–से–कम एक घंटा समय के पश्चात् ही उनसे सहमति प्राप्त की जाए।
6) सभी लाभार्थियों को बंध्याकरण/नसबंदी पश्चात निदेश कार्ड एवं निर्धारित समय पर बंध्याकरण / नसबंदी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।
7) सभी Registers एवं Card (OT register, IUCD card , PPIUCD register etc.) का उपयोग निश्चित रूप से सभी संबंधित सेवा में किया जाए ताकि पूर्ण सेवा के साथ–साथ रिकॉर्ड भी संधारित हो सकें।
8) मद संख्या B.12.2.9.1 में किये प्रावधान के अनुसार बंध्याकरण पश्चात् सभी लाभार्थियों को Drop Back सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
9) बंध्याकरण / नसबंदी संबंधित सभी मृत्यु, जटीलता एवं विफलता को निश्चित रूप से Record करते हुए FPIS अंतर्गत ससमय सभी प्रक्रिया को 1 माह में पूर्ण किया जाए।
10) बंध्याकरण / नसबंदी संबंधित मृत्यु का Death Audit (Annexure-6 of FPIS Manual) , QAC द्वारा अनिवार्य रूप से ससमय समपादित किया जाए।

11) DQAC द्वारा Annual / Quarterly Basis पर Monitoring Calendar बनाते हुए प्रत्येक माह में कम–से–कम 2 स्वास्थ्य संस्थान एवं 1(एक) NGO / Acc. nursing Home का monitoring अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे गये Format no. 6, 17 & 19 of Standard & Assurance Quality in Sterilization Services manual को ई–मेल ddfpbihar@gmail.com, fpshsb@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

12) स्वास्थ्य सेवा में नये योगदान देने वाले चिकित्सक (MBBS) को अनिवार्य रूप से Minilap प्रशिक्षण दिया जाए। जिला द्वारा चिकित्सको का नाम क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को भेजें एवं क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई की जिम्मेवारी होगी कि वे इन्हें शामिल करते हुए प्रशक्षिण Calender तैयार करें एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाय।

13) पूर्व से प्रशिक्षित चिकित्सक जो परिवार नियोजन ऑपरेशन में Confident नहीं है को पुनः प्रशिक्षित किया जाय अथवा Surgeon / Gynaecologist / DGO के साथ FP Static/Fixed Day Services में Assistant Surgeon के रूप में शामिल जाए ताकि वो Skilled एवं Confident हो जाए। DQAC नियमानुकूल प्रक्रिया अपनाते हुए इन्हें empanelled सूची में शामिल करेगें।

14) प्रधान सचिव, बिहार सरकार का पत्रांक 429 दिनांक 19.01.2016 में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में NGO/नर्सिंग होम/निजी चिकित्सकों को प्रत्यायित करते हुये नियमानुसार परिवार नियोजन ऑपरेशन का कार्य लिया जाय तथा प्रत्यायित संस्था के सर्जन को Empanelled List में शामिल किया जाए।

15) वैसे संस्थान जहाँ परिवार नियोजन हेतु सर्जन उपलब्ध नहीं हैं के लिए Mobile Outreach team for ster. services बनाया जाए ताकि Surgeon एवं Skilled Assistant के कमी को पूरा किया जा सके।

16) PPP अर्न्तगत Mobile outreach team का उपयोग सिर्फ उन्हीं स्वास्थ्य संस्थान में किया जाए जहाँ परिवार नियोजन हेतु Surgeon पदस्थापित अथवा प्रतिनियुक्त ना हो।

17) सभी प्रचार प्रसार सामाग्री (Venial sticker etc) को निर्धारित स्थान पर प्रर्दशित करना सुनिश्चित किया जाए। (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 5375 दिनांक 27.11.2016)

18) ए.एन.एम. एवं आशा को परिवार नियोजन कार्यकम अर्न्तगत सभी सेवाओं एवं योजना का आशा दिवस एवं साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में उनमुखिकरण किया जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश का अनुपालन तथा गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

09/5/17

(डा0 मो0 सज्जाद अहमद)

11) DQAC द्वारा Annual / Quarterly Basis पर Monitoring Calendar बनाते हुए प्रत्येक माह में कम–से–कम 2 स्वास्थ्य संस्थान एवं 1(एक) NGO / Acc. nursing Home का monitoring अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे गये Format no. 6, 17 & 19 of Standard & Assurance Quality in Sterilization Services manual को ई–मेल ddfpbihar@gmail.com, fpshsb@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

12) स्वास्थ्य सेवा में नये योगदान देने वाले चिकित्सक (MBBS) को अनिवार्य रूप से Minilap प्रशिक्षण दिया जाए। जिला द्वारा चिकित्सको का नाम क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को भेजें एवं क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई की जिम्मेवारी होगी कि वे इन्हें शामिल करते हुए प्रशक्षिण Calender तैयार करें एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाय।

13) पूर्व से प्रशिक्षित चिकित्सक जो परिवार नियोजन ऑपरेशन में Confident नहीं है को पुनः प्रशिक्षित किया जाय अथवा Surgeon / Gynaecologist / DGO के साथ FP Static/Fixed Day Services में Assistant Surgeon के रूप में शामिल जाए ताकि वो Skilled एवं Confident हो जाए। DQAC नियमानुकूल प्रक्रिया अपनाते हुए इन्हें empanelled सूची में शामिल करेगें।

14) प्रधान सचिव, बिहार सरकार का पत्रांक 429 दिनांक 19.01.2016 में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में NGO/नर्सिंग होम/निजी चिकित्सकों को प्रत्यायित करते हुये नियमानुसार परिवार नियोजन ऑपरेशन का कार्य लिया जाय तथा प्रत्यायित संस्था के सर्जन को Empanelled List में शामिल किया जाए।

15) वैसे संस्थान जहाँ परिवार नियोजन हेतु सर्जन उपलब्ध नहीं हैं के लिए Mobile Outreach team for ster. services बनाया जाए ताकि Surgeon एवं Skilled Assistant के कमी को पूरा किया जा सके।

16) PPP अर्न्तगत Mobile outreach team का उपयोग सिर्फ उन्हीं स्वास्थ्य संस्थान में किया जाए जहाँ परिवार नियोजन हेतु Surgeon पदस्थापित अथवा प्रतिनियुक्त ना हो।

17) सभी प्रचार प्रसार सामाग्री (Venial sticker etc) को निर्धारित स्थान पर प्रर्दशित करना सुनिश्चित किया जाए। (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 5375 दिनांक 27.11.2016)

18) ए.एन.एम. एवं आशा को परिवार नियोजन कार्यक्रम अर्न्तगत सभी सेवाओं एवं योजना का आशा दिवस एवं साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में उनमुखिकरण किया जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश का अनुपालन तथा गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डा0 मो0 सज्जाद अहमद)

ज्ञापांक सं.: 570 पटना, दिनांक: 09/05/17

प्रतिलिपिः

1. सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. अपर सचिव, स्वास्थ्य–सह–अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
3. सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. ACMO/परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, गुणवत्ता यकिन कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

09/5/17
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी